संख्या:-19/2024/1055/78-1-2024-02आई0टी0/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड
लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ दिनाँकः 29 जून 2024

विषयः''उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन)'' के अन्तर्गत टेलीकॉम (5G/6G) के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत राज्य में 8 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना किया जाना परिलक्षित है। आईआईटी कानपुर द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से टेलीकॉम ((5G/6G) के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना प्रस्तावित है।

2- विदित है भारतवर्ष में 5G का रोलआउट किया जा रहा है तथा दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के वायरलेस नेटवर्क के लिए नवाचार करना शुरू कर दिया है। 3जी0पी0पी0/3GPP मानकीकरण निकायों द्वारा 5G से परे 6G मानकों को लागू करने के लिए एक सांकेतिक समयसीमा 2030 के आसपास होने की सम्भावना है। एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था होने के परिदृश्य में उत्तर प्रदेश उन्नत वायरलेस तकनीक और इसके उपयोग के मामलों को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। उत्तर प्रदेश को न केवल भारत में अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी का ध्वजवाहक बनने के लिए 5G और उससे आगे की प्रौद्योगिकियों का चरणबद्ध विकास एवं उपयोग किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

3- यूपी स्टार्टअप नीति 2020 (प्रथम संशोधन) के तहत स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उत्कृष्टता केन्द्रों का प्राथमिक उद्देश्य पूरे उत्तर प्रदेश में अगली पीढ़ी के वायरलेस संचार और प्रशिक्षण सुविधाओं के परीक्षण और विकास के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सुदृढ़ता प्रदान करेंगे तथा अगली पीढ़ी के वायरलेस संचार के क्षेत्र में मेक-इन इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायक होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आईआईटी कानपुर के प्रस्ताव का विवरण

Name of Institute	**IIT Kanpur**
Floor Area committed	10,000 square ft
Location	Kanpur (Kanpur Campus)
Total Budget (in Cr.)	9.95
Demand from Government (in Cr.)	**9.95**
Contribution of Host Institute (in Cr.)	Being a section-8 company, they will not be available to provide any fund support.
Existing Capabilities and Infrastructure	5G facilities are available with IIT Kanpur. 6G facilities will be developed by the CoE. IIT Kanpur will take help from the test equipment vendors like Keysight. Testing equipment available with the centre are as follows: 1. Oscilloscope+Vector Signal Generator(PSG E8267D) and Vector Signal Analyser(VXA) 2. Oscilloscope (BW 500 MHz)+Oscilloscope (BW 4 GHz) 3. Analog Signal Generator (N5183B)+Vector Signal Analyser+Vector Signal Generator (Sub 6 GHz)+Vector Network Analyser(Advanced) 4. Power Supply 4 Channel 5. JBC SOLDERING TOOLS
Support from other relevant organizations	Government and the Industry partner: 1.The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has funded the '5G+/6G standardization' project with support of Rs. 8 Cr. 2.The Department of Telecommunication (DoT) has funded '5G testbed development' project with a support of Rs 8 Cr. Corporate Partners: BEL, Intel, Qualcomm, Nokia. Partners and collaborations :- 1 .TiE Delhi NCR 2. Indian Angel Network Services Pvt Ltd 3.TiE UP 4.Moglix 5.Shrushty 6.Dr. Ruby Lahir (Certified Executive Coach and a Leadership & Development professional) 7.ANSYS CADFEM 8.FICCI
Deliverables	Creation of a knowledge hub for the incubation of meritorious start-ups, nurturing 5G/6G and communication innovations through technical, infrastructure, access to funding support, and provide high-end services to MSMEs and other industry through the CoE- 5G/5G+/6G.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IIT Kanpur द्वारा स्थापित किये जाने वाले उत्कृष्टता के केन्द्र हेतु वर्णित लक्ष्यों का विवरण

Deliverables as Program Partner for Startups in 5G/6G domain	Target number (per year)
Supporting the startups with incubation facilities	10
Technology Transfers (Expected)	1
Workshop, Internship and Training Programs	3
Industry partnerships (National and International)	6
Product acceleration for Startups	8
Marketing and Outreach events for the CoE & Startups	10

आईआईटी कानपुर द्वारा स्थापित किये जाने वाले उत्कृष्टता के केन्द्र हेतु होने वाले व्ययों का विवरण:-

Summary of Proposed Budget For Coe 5g/6g Technology Submitted by IIT, Kanpur		
	BUDGET HEADS	**TOTAL (Rs in Lacs)**
A	**Capital Expenditure (Non-Recurring)**	
1	Thrust area Equipment/ Machineries/ Instruments/ Office Furnishing Office Equipments (Laptops, Projectors, Photocopier machine, Printers etc)	150.00
	TOTAL (A)	150.00
B	**Operational Expenditure (Recurring) 5 yrs.**	
1	Manpower (including support for Talent development	294.00
2	Mentoring and Design consultancy charges	100.00
3	Consumables for designing the 6G Hardware	55.00
4	Contingency	15.00
5	Travel and Networking	10.00
6	Support to Start-Ups	260.00
7	Workshops and Training Programs	10.00
8	Hackathon	106.00
	TOTAL (B)	850.00
	TOTAL (A + B)	1,000.00
	GRAND TOTAL OF PROPOSED BUDGET	**1,000.00**

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन तथा उद्यमिता के पोषण हेतु आईआईटी कानपुर द्वारा टेलीकॉम (5G/6G) के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु उत्कृष्टता के केन्द्र को उसकी स्थापना तिथि से 5 वर्ष की अवधि में, अनुदान के रूप में अधिकतम रु 09.95 करोड़ तक आर्थिक सहायता (जिसमें पूंजीगत तथा परिचालन व्यय सम्मिलित है) प्रदान की जायेगी तथा सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स को वित्तीय सहायता पर निहित व्यय-भार का वहन 'उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020' के अन्तर्गत अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ से प्राप्त धनराशि रु 30 करोड़ प्रतिवर्ष (05 वर्षों में कुल रु 150 करोड़) से बनाये गये कॉरपस फण्ड से किया जायेगा।

5- आईआईटी कानपुर के प्रस्ताव में वर्ष-दर-वर्ष धनराशि का आकंलन नहीं किया गया है। अतः उक्त अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आईआईटी कानपुर से प्राप्त प्रस्ताव को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित पीएमआईसी के समक्ष रखा जाये एवं तद्नुसार ही इस संस्थान को वर्ष-दर-वर्ष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

6- आईआईटी कानपुर द्वारा स्थापित किये जाने वाले उपर्युक्त सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स हेतु वर्णित लक्ष्यों के अनुसार समयबद्ध रूप से अपने कार्यों का सम्पादन किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित पीएमआईसी के मार्गदर्शन में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु performance indicators को परिभाषित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त सेन्टर आफ एक्सीलेन्स द्वारा पर्याप्त संख्या में स्टार्ट-अप को मेन्टरिंग सपोर्ट प्रदान किया जाय एवं स्टार्टअप को फण्डिंग भी उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जाय।

8- उत्कृष्टता के केन्द्रों को वित्तीय सहायता का संवितरण उनके कार्य-प्रदर्शन पर पीएमआईसी के निर्णय पर निर्भर होगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग एवं उपभोग यथानिर्धारित समय-सारणी एवं उल्लिखित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा। उत्कृष्टता का केन्द्र 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक स्व-निर्भर हो जायेगा तथा इसके पश्चात केन्द्र को शासन से कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

9- प्रस्तावित उत्कृष्टता के केन्द्र द्वारा किये जा रहे कार्यों के अनुश्रवण हेतु नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड कार्यरत है। नोडल संस्था-यूपीएलसी द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के प्रस्तर-8.8 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुसार उत्कृष्टता के केन्द्र अपनी भूमिका का समुचित निर्वहन करेंगे। इसके अतिरिक्त उत्कृष्टता के केन्द्र द्वारा किये जा रहे कार्यों का मार्गदर्शन प्रदान किये जाने के लिए नीति में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पीएमआईसी की व्यवस्था है। कार्यों के अनुश्रवण करने पर पीएमआईसी के मार्गदर्शन में उत्कृष्टता के केन्द्र को यथावश्यक निर्देश प्रदान किए जायेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

संख्या:-19/2024/1055(1)/78-1-2024 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।